31.10.25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा. पत्र कायम मुकाम पेश हुई। [illegible] पत्र में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र कायम मुकाम बाबत अप्रार्थी सं. 02 अपील का वादी द्वारा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हु...
	अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। उक्त अपील की कोई सूचना प्रतिवादी अधि. द्वारा दिनांक 17.7.2025 को दी गई थी। उक्त दावा दिनांक 16.3.2007 से लंबित है। वादी द्वारा जो प्रार्थना-पत्र कायम मुकाम पेश किया गया है उसमें प्रतिवादी सं. 02 के मरने की ना तो कोई दिनांक अंकित की है, न ही उसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है। डिले कन्डोन हेतु कोई प्रार्थना पत्र साथ में पेश नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि वादी व वादी अधिवक्ता अपने वाद को लेकर न तो सजग है और न ही न्यायालय निर्देशों की समय पर पालना की जा रही है। पेश किये गये प्रार्थना-पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम तो प्रतिवादी के फौती की कोई जानकारी वादी को भी ही नहीं, [illegible] प्रतिवादी के न तो मरने [illegible] गई है, न ही उसका मृत्यु [illegible]-पत्र संलग्न किया है। इससे स्पष्ट होता है क्रमशः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.04.22 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि वादी व वादी अधिवक्ता अपने वाद को लेकर सीरियस नहीं है और अनावश्यक रूप से मामला का समय जाया कर रहे हैं ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना-पत्र नामान्तरण चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का प्रार्थना-पत्र नामान्तरण अन्तर्गत CPC धारा 151 के तहत खारिज किया जाता है साथ ही वादपत्र अपूर्ण होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर शामिल रेकर्ड की जाकर नंबर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested